

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 445

8 aashadh, 1938 (S)

Ranchi, Thursday, 29th June, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION 29th June, 2017

NOTIFICATION No. 13 / 2017 State Tax (Rate)

S.O-43- Dated- 29th **June, 2017--** In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government on the recommendations of the Council hereby notifies that on categories of supply of services mentioned in column (2) of the Table below, supplied by a person as specified in column (3) of the said Table, the whole of State Tax leviable under section 9 of the said Jharkhand Goods and Services Tax Act, shall be paid on reverse charge basis by the recipient of the such services as specified in column (4) of the said Table:-

Table

Sl. No.	Category of Supply of Services	Supplier of	Recipient of Service
		service	
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Supply of Services by a	Goods	(a) Any factory registered
	goods transport agency	Transpor	under or governed by the
	(GTA) in respect of	t Agency	Factories Act, 1948(63 of
	transportation of goods by	(GTA)	1948); or

2

road to(a) any factory registered under or governed by the Factories Act, 1948(63 of 1948);or
(b) any society registered

- (b) any society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or under any other law for the time being in force in any part of India; or
- (c) any co-operative society established by or under any law; or
- (d) any person registered under the Central Goods and Services Tax Act or the Integrated Goods and Services Tax Act or the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act; or
- (e) anybody corporate established, by or under any law; or
- (f) any partnership firm whether registered or not under any law including association of persons; or (g) any casual taxable person.

(b) any society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or under any other law for the time being in force in any part of India; or

- (c) any co-operative society established by or under any law; or
- (d) any person registered under the Central Goods and Services Tax Act or the Integrated Goods and Services Tax Act or the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act; or
- (e) anybody corporate established, by or under any law; or
- (f) any partnership firm whether registered or not under any law including association of persons; or
- (g) any casual taxable person;

located in the taxable territory.

Services supplied individual advocate including a senior advocate by way of representational services before any court, tribunal or authority, directly or indirectly, to any business entity located in the taxable territory, including where contract for provision of such service has been entered through another advocate or a firm of advocates, or by a firm of advocates, by way of legal services, to a business

An individu al advocate includin g a senior advocate or firm of advocate s.

Any business entity located in the taxable territory.

	entity.		
3	Services supplied by an	An	Any business entity located in
	arbitral tribunal to a business	arbitral	the taxable territory.
	entity.	tribunal.	
4	Services provided by way of	Any	Anybody corporate or
	sponsorship to anybody	person	partnership firm located in the
	corporate or partnership firm.	1	taxable territory.
5	Services supplied by the	Central	Any business entity located in
	Central Government, State	Govern	the taxable territory.
	Government, Union territory	ment,	
	or local authority to a	State	
	business entity excluding, -	Govern	
	(1) renting of immovable	ment,	
	property, and	Union	
	(2) services specified below-	territory	
	(i) services by the	or local	
	Department of Posts by way	authority	
	of speed post, express parcel		
	post, life insurance, and		
	agency services provided to a		
	person other than Central		
	Government, State		
	Government or Union		
	territory or local authority;		
	(ii) services in relation to an		
	aircraft or a vessel, inside or		
	outside the precincts of a port		
	or an airport;		
	(iii) transport of goods or		
	passengers.		
6	Services supplied by a	A	The company or a body
	director of a company or a	director	corporate located in the
	body corporate to the said	of a	taxable territory.
	company or the body	company	
	corporate.	or a	
		body	
		corporat	
		e	
7	Services supplied by an	An	Any person carrying on
	insurance agent to any person	insuranc	insurance business, located in
	carrying on insurance	e agent	the taxable territory.
	business.		
8	Services supplied by a	A	A banking company or a
	recovery agent to a banking	recovery	financial institution or a non-
	company or a financial	agent	banking financial company,

	institution or a non-banking financial company.		located in the taxable territory.
9	Supply of services by an author, music composer, photographer, artist or the like by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause (a) of sub-section (1) of section 13 of the Copyright Act, 1957 relating to original literary, dramatic, musical or artistic works to a publisher, music company, producer or the like.	or music compose r, photogra pher, artist, or	Publisher, music company, producer or the like, located in the taxable territory.

Explanation.- For purpose of this notification,-

- (a) The person who pays or is liable to pay freight for the transportation of goods by road in goods carriage, located in the taxable territory shall be treated as the person who receives the service for the purpose of this notification.
- (b) "Body Corporate" has the same meaning as assigned to it in clause (11) of section 2 of the Companies Act, 2013.
- (c) the business entity located in the taxable territory who is litigant, applicant or petitioner, as the case may be, shall be treated as the person who receives the legal services for the purpose of this notification.
- (d) the words and expressions used and not defined in this notification but defined in the Central Goods and Services Tax Act, the Integrated Goods and Services Tax Act, and the Union Territory Goods and Services Tax Act shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.
- 2. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017] By the order of the Governor of Jharkhand

K.K. Khandelwal, Principal Secretary-cum-Commissioner

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 29 जून, 2017

अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर)

एस॰ ओ॰-43- दिनांक- 29 जून, 2017-- राज्य सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करती है कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित सेवाओं की पूर्ति के प्रवर्गों पर, जिनकी पूर्ति उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा की गई है, उक्त झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 के अधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण राज्य कर का संदाय, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार आधार पर किया जाएगा :--

सारणी

•		1.	
क्र.स.	सेवाओं की पूर्ति के प्रवर्ग	सेवा का	सेवा का प्राप्तिकर्ता
		पूर्तिकार	
(1)	(2)	(3)	(4)
1	किसी माल परिवहन	माल	कराधेय राज्यक्षेत्र में
	अभिकरण (जीटीए) द्वारा	परिवहन	अवस्थित,
	माल के सड़क द्वारा	अभिकरण	(क) कारखाना अधिनियमए
	निम्नलिखित को परिवहन की	(जीटीए)	1948 (1948 का 63) के अधीन
	बाबत सेवाओं की पूर्ति –		या उसके द्वारा किसी भी
	(क) कारखाना अधिनियम,		कारखाने को ; या
	1948 (1948 का 63) के		(ख) भारत के किसी भाग में
	अधीन या उसके द्वारा		सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण
	किसी भी कारखाने को ; या		अधिनियम, 1860 (1860 का
	(ख) भारत के किसी भाग में		21) या तत्समय प्रवृत्त किसी
	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण		अन्य विधि के अधीन
	अधिनियम, 1860 (1860		रजिस्ट्रीकृत किसी भी सोसाइटी
	का 21) या तत्समय प्रवृत्त		को ; या
	किसी अन्य विधि के अधीन		(ग) किसी विधि द्वारा या उसके
	रजिस्ट्रीकृत किसी भी		अधीन स्थापित किसी भी
	सोसाइटी को ; या		

2

- (ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी सहकारी सोसाइटी को : या
- (घ) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/ एकीकृत और सेवा माल कर अधिनियम/ राजय माल और सेवा कर अधिनियम/ संघ राज्यक्षेत्र माल और के अधीन कर रजिस्ट्रीकृत किसी भी व्यक्ति को ; या
- (इ.) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी निगमित निकाय को : या
- (च) किसी विधि के अधीन किसी भी भागीदारी फर्म कोए चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या जिसके अंतर्गत नहीं, व्यक्तियों का संगम भी है; या
- कोई आकस्मिक (छ) कराधेय व्यक्ति।

सहकारी सोसाइटी को ; या

- (घ) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/ एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम/ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम/ संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी व्यक्ति को ; या
- (इ.) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगमित निकाय को ; या
- (च) किसी विधि के अधीन किसी भी भागीदारी फर्म को, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों का संगम भी है ; या
- (छ) कोई आकस्मिक कराधेय व्यक्ति।

व्यष्टिक अधिवक्ता, कोई किसी जिसके अंतर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी है द्वारा किसी अधिवक्ता कराधेय राज्यक्षेत्र. जिसके अंतर्गत वह स्थान भी है, अधिवक्ताओं जहां ऐसी सेवाओं के उपबंध की फर्म के लिए कोई संविदा किसी अधिवक्ता अधिवक्ताओं की किसी फर्म

व्यष्टिक या

कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्तित्व ।

के माध्यम से की गई थी, में अवस्थित किसी कारबार अस्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ज्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु या अधिवक्ताओं की किसी फर्म द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को विधिक सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं । किसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को पूर्तित सेवाएं । किसी भी निगमित निकाय या भगीदारी फर्म को प्रायोजितता के रूप में दी गई सेवाएं । किसी कारबार अस्तित्व को केदीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्तित सेवाएं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं, (1) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना ; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं- (i) स्पैड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्त्रल पोसट, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से भिन्न किसी		` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `		
अस्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु या अधिवक्ताओं की किसी फर्म द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को विधिक सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं। 3 किसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को पूर्तित सेवाएं। 4 किसी भी निगमित निकाय या भागीदारी फर्म को प्रायोजितता के रूप में दी गई सेवाएं। 5 किसी कारबार अस्तित्व को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रतित सेवाएं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं (1) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना; और (2) नोचे विनिर्देष्ट सेवाएं- (i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सत पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार, संघ राज्यक्षेत्र परकार, संघ राज्यक्षेत्र परकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र		के माध्यम से की गई थी, में		
अप्रत्यक्ष रूप से किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु या अधिवक्ताओं की किसी फर्म द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को विधिक सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं । 3 किसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को पूर्तित सेवाएं । 4 किसी भी निगमित निकाय या भागीदारी फर्म को प्रायोजितता के रूप में दी गई सेवाएं । 5 किसी कारबार अस्तित्व को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्तित सेवाएं, जिसके अंतर्गत तिम्निविद्वित् नहीं हैं. स्थानीय प्राधिकरण पर देना ; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं- (i) स्पीड पोसट, एक्सफ्रेस पार्सत प्रेसा अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, राज्य सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, राज्य सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्तित्व ।				
न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु या अधिवक्ताओं की किसी फर्म द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को विधिक सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं । 3 किसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को पूर्तित सेवाएं । 4 किसी भी निगमित निकाय या भगीदारी फर्म को प्रायोजितता के रूप में दी गई सेवाएं । 5 किसी कारबार अस्तित्व को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्तित सेवाएं, जिसके अंतर्गत निम्निलिखित नहीं हैं, स्थानीय प्राधिकरण दवारा पूर्तित सेवाएं, जिसके अंतर्गत निम्निलिखित नहीं हैं, स्थानीय पर देता; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं- (i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार सरका		अस्तित्व को प्रत्यक्ष या		
प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु या अधिवन्ताओं की किसी फर्म द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को विधिक सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं । 3 किसी माध्यम्थम् अधिकरण दवारा किसी कारबार अस्तित्व को पूर्तित सेवाएं । 4 किसी भी निगमित निकाय या भागीदारी फर्म को प्रायोजितता के रूप में दी गई सेवाएं । 5 किसी कारबार अस्तित्व को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्तित सेवाएं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं. (1) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं- (1) स्पीड पोसट, एक्सप्रेस पार्सल पोसट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार राज्य सरकार अस्तित्व ।				
प्रतिनिधित्व संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु या अधिवक्ताओं की किसी फर्म द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को विधिक सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं । 3 किसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को पूर्तित सेवाएं । अधिकरण 4 किसी भी निगमित निकाय या भागीदारी फर्म को प्रायोजितता के रूप में दी गई सेवाएं । 5 किसी कारबार अस्तित्व को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्तित सेवाएं, जिसके अंतर्गत निम्निलिखित नहीं हैं, (1) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं (i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सक पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार, संघ राज्यक्षेत्र		न्यायालय, अधिकरण या		
उपलब्ध कराने हेतु या अधिवक्ताओं की किसी फर्म द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को विधिक सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं । 3 किसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को पूर्तित सेवाएं । 4 किसी भी निगमित निकाय या भागीदारी फर्म को प्रायोजितता के रूप में दी गई सेवाएं । 5 किसी कारबार अस्तित्व को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, राज्य सेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्तित सेवाएं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं,. (1) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं- (i) स्पीड पोसट, एक्सप्रेस पार्तल पोसट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य राज्य सरकार अस्तित्व ।		प्राधिकरण के समक्ष		
अधिवक्ताओं की किसी फर्म द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को विधिक सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं। 3 किसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किसी कारबार अस्वित्व कोई कारबार अस्वित्व । 4 किसी भी निगमित निकाय या भागीदारी फर्म को प्रायोजितता के रूप में दी गई सेवाएं। 5 किसी कारबार अस्वित्व को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई निगमित निकाय या भागीदारी फर्म । 6 किसी कारबार अस्वित्व को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई निगमित निकाय या भागीदारी फर्म । 7 किसी कारबार अस्वित्व को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्वित्व । 8 केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्वित्व । 8 केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्वित्व । 8 केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्वित्व । 8 केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्वित्व । 8 केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्वित्व । 8 केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्वित्व । 8 केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्वित्व । 8 केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्वित्व । 8 केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्वित्व । 8 केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्वित्व । 8 केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्वित्व । 8 केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्वित्व । 8 केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्वित्व । 8 केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्वित्व । 8 केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्वित्व । 8 केंद्रीय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्वित्व । 8 केंद्रीय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्वित्व । 8 केंद्रीय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्वित्व । 8 कराध्य राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्वित्व । 8 केंद्रीय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्वित्व । 8 केंद्रीय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्वित्व कोई कारबार अस्वित्व को		प्रतिनिधित्व संबंधी सेवाएं		
द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को विधिक सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं । किसी माध्यस्थम् अधिकरण कोई कारबार अस्तित्व । किसी माध्यस्थम् अधिकरण कोई कारबार अस्तित्व । किसी भी निगमित निकाय या कोई भी कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्तित्व । किसी भी निगमित निकाय या कोई भी कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई निगमित निकाय या भागीदारी फर्म । किसी कारबार अस्तित्व को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्तित संवाएं, जिसके अंतर्गत संघराज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण दवारा पूर्तित संवाएं, जिसके अंतर्गत प्राचीय प्राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण पर देना; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं- (1) स्थांड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्यक्षेत्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्यक्षेत्र सरकार, राज्य सरकार, राज्यक्षेत्र सरकार सरकार सरकार सरकार सरकार सरकार सरवित्व ।		उपलब्ध कराने हेतु या		
को विधिक सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं। 3 किसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को पूर्तित सेवाएं। 4 किसी भी निगमित निकाय या कोई भी कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्तित्व । 5 किसी कारबार अस्तित्व को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्तित सेवाएं, जिसके अंतर्गत सेवाएं, जिसके अंतर्गत निम्नित्वित नहीं हैं. (1) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं- (1) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण पर देना; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं- (3) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार, संघ राज्यक्षेत्र कें अवस्थित कोई कारबार अस्तित्व । कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई निगमित निकाय या भगीदारी फर्म । कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्तित्व । कराध्य राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्तित्व । कराध्य राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्तित्व । कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्तित्व । कराध्य राज्यक्ष सेवर सेवर्य स्		अधिवक्ताओं की किसी फर्म		
माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं । किसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को पूर्तित सेवाएं । किसी भी निगमित निकाय या भागीदारी फर्म को प्रायोजितता के रूप में दी गई सेवाएं । किसी कारबार अस्तित्व को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्तित सेवाएं । किसी कारबार अस्तित्व को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्तित सेवाएं, जिसके अंतर्गत निम्निलिखित नहीं हैं,. (1) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं- (i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण		द्वारा किसी कारबार अस्तित्व		
गई सेवाएं । किसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किसी कारबार अस्तित्व । अधिकरण किसी भी निगमित निकाय या भागीदारी फर्म को प्रायोजितता के रूप में दी गई सेवाएं । किसी कारबार अस्तित्व को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्तित सेवाएं, जिसके अंतर्गत निम्निखित नहीं हैं. (1) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना ; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं- (i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सत पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण पर देना ; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं- (i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सत पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र संघ राज्यक्षेत्य		को विधिक सेवाओं के		
किसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किसी कारबार अस्तित्व । अधिकरण कोई कारबार अस्तित्व । कर्म भी निगमित निकाय या कोई भी व्यक्ति कोई निगमित निकाय या भागीदारी फर्म । कर्म देते गई सेवाएं । भागीदारी फर्म । कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई निगमित निकाय या भागीदारी फर्म । कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई विगमित निकाय या भागीदारी फर्म । कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्तित्व । सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्तित सरकार, संघ पाज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण पर देना ; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं- (i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र संघ राज्यक्षेत्र संघ राज्यक्षेत्र संघ राज्यक्षेत्र संघ राज्यक्षेत्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र संघ राज्यक्षेत्र संघ राज्यक्षेत्र संघ राज्यक्षेत्र संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण पर देना ; और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र संघ राज्यक्षेत्य		माध्यम से उपलब्ध कराई		
द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को पूर्तित सेवाएं । अधिकरण 4 किसी भी निगमित निकाय या कोई भी कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई तिगमित निकाय या भागीदारी फर्म को प्रायोजितता के रूप में दी गई सेवाएं । 5 किसी कारबार अस्तित्व को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्तित सेवाएं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं, एरे स्थानीय पर देवा; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं (i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पर्मित पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण पर देना; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सकार अस्तित्व । स्थानीय प्राधिकरण पर देना; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सकार, राज्य		गई सेवाएं ।		
अस्तित्व को पूर्तित सेवाएं । अधिकरण किसी भी निगमित निकाय या कोई भी कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित भागीदारी फर्म को प्रायोजितता के रूप में दी गई सेवाएं । किसी कारबार अस्तित्व को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्तित सेवाएं, जिसके अंतर्गत निम्निलिखित नहीं हैं (1) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं- (i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सारकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सारकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र	3	किसी माध्यस्थम् अधिकरण	कोई	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित
4 किसी भी निगमित निकाय या भागीदारी फर्म को प्रायोजितता के रूप में दी गई सेवाएं। 5 किसी कारबार अस्तित्व को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्तित सेवाएं, जिसके अंतर्गत निम्निलिखित नहीं हैं,. (1) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना; और (2) नीचे विनिर्देष्ट सेवाएं- (i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र संघ राज्यक्षेत्र सेवारं- (हें स्पीनीय प्राधिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सेवारं- (हें स्पीनीय प्राधिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सेवारं- (हें स्पीनीय प्राधिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सेवारं-		द्वारा किसी कारबार	माध्यस्थम्	कोई कारबार अस्तित्व ।
भागीदारी फर्म को प्रायोजितता के रूप में दी गई सेवाएं। 5 किसी कारबार अस्तित्व को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्तित सेवाएं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं. (1) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं- (i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार सरकार राज्य राज्य सरकार राज्य		अस्तित्व को पूर्तित सेवाएं ।	अधिकरण	
के रूप में दी गई सेवाएं । किसी कारबार अस्तित्व को केंद्रीय कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्तित सरकार, संघ सोवाएं, जिसके अंतर्गत राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्तित सरकार, संघ नेम्निलिखित नहीं हैं,. (1) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं- (i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र	4	किसी भी निगमित निकाय या	कोई भी	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित
किसी कारबार अस्तित्व को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्तित सेवाएं, जिसके अंतर्गत स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्तित सेवाएं, जिसके अंतर्गत स्थानीय प्राधिकरण पर देना; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं- (i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र		भागीदारी फर्म को प्रायोजितता	व्यक्ति	कोई निगमित निकाय या
केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्तित सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या पूर्तित सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय राज्यक्षेत्र या स्थानीय राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण पर देना; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं- (i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र		के रूप में दी गई सेवाएं।		भागीदारी फर्म ।
संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्तित सेवाएं, जिसके अंतर्गत राज्यक्षेत्र या स्थानीय राज्यक्षेत्र या निम्नलिखित नहीं हैं,. (1) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं- (i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र	5	किसी कारबार अस्तित्व को	केंद्रीय	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित
प्राधिकरण द्वारा पूर्तित सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या निम्नलिखित नहीं हैं,. (1) स्थावर संपत्ति को किराए प्राधिकरण पर देना; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं- (i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र		केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार,	सरकार,	कोई कारबार अस्तित्व ।
सेवाएं, जिसके अंतर्गत राज्यक्षेत्र या निम्नितिखित नहीं हैं,. (1) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं- (i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र		संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय	राज्य	
निम्नलिखित नहीं हैं,. (1) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना ; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं- (i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र		प्राधिकरण द्वारा पूर्तित	सरकार, संघ	
(1) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना ; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं- (i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र		सेवाएं, जिसके अंतर्गत	राज्यक्षेत्र या	
पर देना ; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं- (i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र		निम्नलिखित नहीं हैं,.	स्थानीय	
(2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं- (i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र		(1) स्थावर संपत्ति को किराए	प्राधिकरण	
(i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र		पर देना ; और		
पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र		(2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं-		
और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र		(i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस		
रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र		पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा		
केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र		और अभिकरण सेवाओं के		
सरकार, संघ राज्यक्षेत्र		रूप में डाक विभाग द्वारा		
		केंद्रीय सरकार, राज्य		
प्रशासन से भिन्न किसी		सरकार, संघ राज्यक्षेत्र		
		प्रशासन से भिन्न किसी		

		1	
	व्यक्ति को दी गई सेवाएं ;		
	(ii) किसी पत्तन या किसी		
	विमानपत्तन की प्रसीमाओं		
	के भीतर या बाहर किसी		
	वायुयान या जलयान के		
	संबंध में सेवाएं ;		
	(iii) माल या यात्रियों का		
	परिवहन ।		
6	किसी कंपनी या किसी	किसी कंपनी	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित
	निगमित निकाय के निदेशक	या किसी	कोई कंपनी या निगमित
	द्वारा उक्त कंपनी या	निगमित	निकाय ।
	निगमित निकाय को पूर्तित	निकाय का	
	सेवाएं ।	कोई निदेशक	
7	किसी बीमा अभिकर्ता द्वारा	कोई बीमा	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित
	बीमा कारबार करने वाले किसी	अभिकर्ता	कोई व्यक्तिए जो बीमा कारबार
	व्यक्ति को पूर्तित सेवाएं।		कर रहा है ।
8	किसी वसूली अभिकर्ता द्वारा	कोई वसूली	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित
	किसी बैंककारी कंपनी या	अभिकर्ता	कोई बैंककारी कंपनी या वित्तीय
	किसी वित्तीय संस्था या		संस्था या गैर-बैंककारी वित्तीय
	किसी गैर-बैंककारी वित्तीय		कंपनी ।
	कंपनी को पूर्तित सेवाएं।		
9	किसी लेखक, संगीतकार,	लेखक,	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित
	फोटोग्राफर, कलाकार और उसी	संगीतकार,	कोई प्रकाशक, संगीत कंपनी,
	प्रकार के अन्य द्वारा	फोटोग्राफर,	निर्माता और उसी प्रकार के
	प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम,	कलाकार और	
	1957 की धारा 13 की उपधारा (1)	उसी प्रकार के	3 (-1
	के खंड (क) के अंतर्गत आने वाले	अन्य	
	मूल साहित्यिक, नाट्य, संगीत	JIVĮ A	
	संबंधी या कला संबंधी कार्यों से		
	संबंधित प्रतिलिप्यधिकार का		
	किसी प्रकाशक, संगीत कंपनी,		
	निर्माता और उसी प्रकार के अन्य		
	द्वारा उपयोग या उपभोग का		
	अंतरण करने या उसकी अनुज्ञा		
	देने के रूप में सेवाओं की पूर्ति ।		

स्पष्टीकरण-इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,--

- (क)कोई व्यक्ति, जो कराधेय राज्यक्षेत्र में स्थित माल वाहक में सड़क द्वारा माल के परिवहन के लिए किराए का संदाय करने का दायी है, ऐसा व्यक्ति समझा जाएगा, जो इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए सेवा प्राप्त करता है।
- (ख) "निगमित निकाय" का वही अर्थ है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (11) में उसका है ।
- (ग)कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित ऐसे किसी कारबार अस्तित्व को, जो यथास्थिति, मुकदमेबाज, आवेदक या याची है, ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जाएगा, जो इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए विधिक सेवाएं प्राप्त करता है।
- (घ) इस अधिसूचना में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो इस अधिसूचना में परिभाषित नहीं हैं, किंतु केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उन अधिनियमों में उनका है।
- 2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं. वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/04/2017] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

> के॰ के॰ खण्डेलवाल, प्रधान सचिव-सह-आय्क्त।
